न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–108/2015/टोंक (2015/00018)

1. रामनारायण पुत्र मूला पि0मु0 धापू (धापू पत्नि बन्ना), जाति जाट, निवासी रामपुरा बास, बांगड़ी, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीराम पुत्र मूला, जाति जाट, नि0 रामपुरा बास बागंड़ी, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
2. जतन पुत्र रामधन,
3. मदन पुत्र रामधन (मृतक जरिये वारिसानः–)
   3/1– सुरेश पुत्र स्व0 मदन,
   3/2– मुकेश पुत्र स्व0 मदन,
   3/3– निरमा पुत्री स्व0 मदन,
   3/4– नौसर देवी बेवा स्व0 मदन,
4. बैजनाथ पुत्र रामधन,
5. रतनलाल पुत्र राधमन,
   समस्त जाति जाट, निवासी काली हरडिया, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मालपुरा ।

रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, मालपुरा, जिला टोंक दिनांक 17.7.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 158/2015.

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री शंरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2, 3, 4 से 6.
3. रेस्पो0 संख्या अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, मालपुरा, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 17.7.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में पृथक–पृथक श्रीराम बनाम धापू वगै0 के नाम से चार अपीलें ग्राम पंचायत मोरला के नामातकरण आदेश दिनांक 23.2.1996 नामांतकरण संख्या 168, 169, 170, 171 के विरूद्ध पेश की गई । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने चारों अपीलों का निर्णय एक साथ संलग्न कर दिनांक 2.9.2000 को निर्णय पारित किया जिसके अंतर्गत अपील स्वीकार की गई एवं नामांतकरण संख्या 168, 169,170 व 171 वाके ग्राम रामपुरा बास बागडी तह0 मालपुरा को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार, मालपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए कब्जे की पूर्ण जांच करे तथा यह भी निर्देश दिये कि मान0 सिविल न्यायालय के निर्णय पर भी गौर करे और यदि कोई स्थगन आदेश हो तो नामांतकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावे । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर तहसीलदार, मालपुरा ने निर्णय दिनांक 17.7.2015 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 का नामांतकरण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णयानुसार नामांतकरण खोले जाने के आदेश पटवारी हल्का को दिये । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 2, से 6 उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई। । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट धापू व बन्ना का दत्तक पुत्र है जिसकी हैसियत जायंदा पुत्र के समान है एवं विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी होकर विवादित भूमियों पर काबिज काश्त है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 से 5 का विवादित भूमियों से कोई संबंध नहीं है । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि सिविल न्यायालयों व अन्य राजस्व न्यायालयों में अपीलांट पक्षकार है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । प्रार्थी अधी0न्याया0 के आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है जिसे अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जावे । xx

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थे जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.7.2015 को अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलदांजी किये जाने पर हुई तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय की जानकारी कर नकल प्राप्त की एवं आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 274, 276, 277, 278, 279, 273/1, 295, 301/2, 305, 306, 275, 296, 309, 288, 320 वाके ग्राम रामपुरा बास बागड़ी तहसील मालपुरा में अवस्थित है जो धापू पत्नि बन्ना जाट के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिसने कभी भी उपरोक्त वर्णित भूमियां रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के पक्ष में विक्रय पत्र तहरीर नहीं करवाये तथा पंजीयन नहीं करवाये है तथा ना ही मौके पर कब्जा दिया गया है । अपीलांट धापू पत्नि बन्ना का दत्तक पुत्र है जो वर्षो से उक्त भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है एवं तथाकथित चारों विक्रय पत्र अवैध एवं शून्य है । रेस्पो0 संख्या 2 से 5 को कोई टिनेन्सी अधिकार प्राप्त नहीं होते है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने कब्जे के संबंध में मौके पर कोई जांच नहीं की है एवं ना ही कोई जांच रिपोर्ट तैयार की है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 23.9.2000 को तहसीलदार, मालपुरा के यहां प्रकरण रिमाण्ड करने का आदेश दिया था जिसके अनुसार भी तहसीलदार ने कोई पालना नहीं की है । अपीलांट धापू पत्नि बन्ना के दत्तक पुत्र की हैसियत से विवादित आराजियात पर काबिज काश्त है । सिविल न्यायालय द्वारा भी अपीलांट का वाद दिनांक 28.5.2006 को स्वीकार किया जाकर अपीलांट को धापू पत्नि बन्ना का दत्तक पुत्र माना गया है एवं ऐसी स्थिति में अपीलांट विवादित भूमियों का एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार है । सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.5.2006 के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा ए0डी0जे0 न्यायालय में अपील की गई जो निर्णय दिनांक 17.8.2012 द्वारा निरस्त की गई एवं तत्पश्चात् मान0 उच्च न्यायालय में रेस्पो0 द्वारा अपील की गई जिसे मान0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.1.2015 द्वारा खारिज किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वर्ष 1996 में धापू द्वारा करवाये गये तथाकथित विक्रय पत्र शून्य है क्योंकि धापू स्वंय अकेले को संपूर्ण भूमियों को बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था तथा ऐसे विक्रयपत्रों को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये जाने की कतई

आवयकता नहीं है। अपीलांट ने विवादित भूमियों के संबंध में घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है । उक्त वाद के साथ अपीलांट ने धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने पर अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपील स्वीकार कर स्थगन आदेश जारी किये है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 13.7.2016 के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल में रेस्पो0 द्वारा अपील पेश की गई है जो विचाराधीन है । अधी0न्याया0 में विवादित आराजियात बाबत् वाद विचाराधीन रहते तहसीलदार को नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

6- विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, मालपुरा का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 को मु0 धापू ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बैचान की है तथा मौके पर कब्जा संभला दिया है। रेस्पो0 ही विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात बाबत् कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन हो । प्रकरण में जहां सिविल न्यायालय द्वारा अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का प्रश्न है माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, मालपुरा ने निर्णय दिनांक 17.8.2012 द्वारा सिविल न्यायालय (क0ख0),मालपुरा के निर्णय दिनांक 26.5.2006 में आंशिक संशोधन कर वाके ग्राम रामपुरा का खातेदार अपीलांट को घोषित किये जाने संबंधी आदेश को अपास्त कर दिया है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के सद्भाविक क्रेता है जिनके पक्ष में विक्रयपत्रों के आधार पर नामांतकरण तस्दीक कराने का पूर्ण विधिक अधिकार है । पंजीकृत विक्रयपत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं था जिससे उसे अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं है । विद्वान तहसीलदार, मालपुरा ने रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामांतकरण स्वीकृत करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि अपीलांट मु0धापू पत्नि बन्ना का दत्तक पुत्र है तथा विवादित आराजियात बाबत् उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के

न्यायालय में विचाराधीन वाद एवं सिविल न्यायालय में चले प्रकरणों में अपीलांट पक्षकार है परन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना अधी0न्याया0 से एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित कराया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 112/2015 विचाराधीन है जिसमें अपीलांट पक्षकार है तथा सिविल न्यायालय में चले प्रकरणों में अपीलांट को दत्तक पुत्र माना है तथा मान0 उच्च न्यायालय तक अपीलांट को दत्तक पुत्र माने जाने संबंधी निर्णय को बहाल रखा है । प्रकरण में विवादित आराजियात अपीलांट की दत्तक माता धापू के नाम दर्ज थी जिसका नामांतकरण विक्रयपत्रों के आधार पर रेस्पोडेंटस के नाम स्वीकृत किये जाने के आदेश तहसीलदार, मालपुरा ने पारित किये है किन्तु उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार नियुक्त नहीं किया गया एवं ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है । अतः हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को तहसीलदार, मालपुरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8- प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थे जिससे अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को प्रारंभ से जानकारी होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। मियाद के बिन्दू पर प्रकरण का अंतिम रूप से विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने तहसीलदार, मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.7.2015 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में चार अलग–अलग प्रकरण संख्या क्रमशः 4/96, 5/96, 6/96 एवं 7/96 पेश किये गये। उक्त प्रकरण ग्राम पंचायत, मोरला द्वारा पारित नामांतकरण आदेश क्रमशः 168, 169,170, 171 दिनांक 23.2.1996 के विरूद्ध अपीलांट श्रीराम द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी । उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने चारों अपीलों का निर्णय पृथक–पृथक न कर एक साथ संलग्न कर निर्णय पारित किया जिसके अनुसार अपीलांट श्रीराम द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 168, 169,170, 171 दिनांक 23.2.1996 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, मालपुरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि उक्त नामांतकरणों के संबंध में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए कब्जे के संबंध में पूर्ण जांच करे तथा यह भी

निर्देश दिये कि मान0 सिविल न्यायालय के निर्णय पर भी गौर करे यदि कोई स्थगन आदेश हो तो नामांतकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावे ।

10- प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार, मालपुरा ने श्रीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नामांतकरण स्वीकृत किये जाने हेतु स्वीकार कर निर्णयानुसार नामांतकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का को आदेश दिये है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के द्वारा बन्ना के दत्तक पुत्र की हैसियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है । अपीलांट ने धापू बैवा बन्ना के दत्तक पुत्र की विवादित आराजियात बाबत् सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिसमें मान0 सिविल न्यायालय (क0ख0), मालपुरा ने निर्णय दिनांक 28.5.2006 द्वारा अपीलांट रामनारायण को धापू बेवा बन्ना का दत्तक पुत्र मानते हुए विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। मान0 सिविल न्यायालय (क0ख0), मालपुरा के उक्त निर्णय के विरूद्ध मान0 अपर जिला न्यायाधीश, मालपुरा के न्यायालय में अपील होने पर मान0 अपर जिला न्यायाधीश, मालपुरा ने निर्णय दिनांक 17.8.2012 द्वारा अपीलांट श्रीराम की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मान0 सिविल न्यायालय, मालपुरा द्वारा विवादित आराजियात का खातेदार घोषित करने तथा राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किये जाने के आदेश को अपास्त करते हुए शेष आदेश को यथावत् रखा । मान0 अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट रामनारायण धापू बेवा बन्ना का दत्तक पुत्र है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा नामांतकरण संख्या 168, 169, 170, 171 दिनांक 23.2.1996 को निरस्त किये जाने के उपरांत तहसीलदार, मालपुरा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2015 को पारित कर विवादित आराजियात सद्भाविक क्रेता रेस्पो0 के नाम नामांतकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट रामनारायण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 112/2015 बउनवान रामनारायण बनाम जतन दत्तक पुत्र की हैसियत से प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है । उक्त वाद के निर्णय से पूर्व यदि विवादित आराजियात के सद्भाविक क्रेता/रेस्पो0 जिनके नाम तहसीलदार, मालपुरा के आदेश दिनांक 17.7.2015 की पालना में यदि नामांतकरण स्वीकृत किये जा चुके है, के द्वारा स्वीकृत नामांतकरण की आड़ में यदि विवादित भूमि का बैचान, हस्तातंतरण आदि किया जाता है तो प्रकरण में ओर अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ने की संभावना रहेगी । अतःउक्त विवेचन के क्रम में तहसीलदार, मालपुरा के आदेश दिनांक 17.7.2015 की पालना में नामांतकरण स्वीकृत किये जाने की स्थिति अथवा पूर्व स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 112/2015 के निस्तारण तक तस्दीक किये गये उक्त नामांतकरण को विवादित करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है । यहां यह भी उल्लेख करना उचित रहेगा कि अपीलाधीन आदेश की पालना में नामांतकरण स्वीकृत नहीं करने की स्थिति में पूर्व में दर्ज नामांतकरण/राजस्व अभिलेख

पर उक्तानुसार विवादित का नोट अंकित किया जावेगा । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा तहसीलदार, मालपुरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2015 की पालना में यदि नामांतकरण स्वीकृत किये गये हो अथवा पूर्व की स्थिति में उन्हें वाद के निर्णय तक विवादित करार दिया जाना उचित समझते है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

11- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत अपील संख्या 108/2015 (2015/00018) बउनवानी रामनारायण बनाम श्रीराम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विवादित आराजियात ग्राम रामपुरा बास बागड़ी, तहसील मालपुरा में अवस्थित आराजियात खसरा संख्या 274, 276, 277, 278, 279, 273/1, 295, 301/2, 305, 306, 275, 296, 309, 288, 320 बाबत् तहसीलदार, मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.7.2015 की पालना में यदि रेस्पो0/क्रेता के नाम नामांतकरण स्वीकृत किये गये हो अथवा पूर्व की स्थिति में उन्हें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 112/2015 बउनवान रामनारायण बनाम जतन के निर्णय तक विवादित करार घोषित किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, मालपुरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रामपुरा बास बागड़ी, तहसील मालपुरा की विवादित आराजियात बाबत यदि आदेश दिनांक 17.7.2015 की पालना में क्रेता/रेस्पो0 के नाम नामांतकरण स्वीकृत किये गये हो अथवा पूर्व की स्थिति में राजस्व अभिलेख में उनके समक्ष विवादित होने का नोट लाल स्याही से अंकित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

12- आदेश आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.13 12:08:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: